

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक ...30/5/23...)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. -205/2023

GCMS NO- -----

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.

उनवान :-सुधीराम.....बनाम राज0 सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 30/5/23

प्रार्थी के “ग्राम दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्कापंचेरी कला..... के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>पंचेरी कला</u>	<u>600,603</u>	<u>सुधीराम पुत्र टिब्बा</u>	<u>सुधीराम पुत्र सारदाराम</u>



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं, राज.

क्रमांक :- राजस्व/2023/30
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 30/5/23

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री सुधीराम पुत्र सारदाराम को सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं, राज.

